

an>

Title: Introduction of the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2019.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी): मैं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की ओर प्रस्ताव करता हूँ कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

“कि जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री जी. किशन रेड्डी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ ।